रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-12

REGISTERED No. D. (D.N.)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 1986/कार्तिक 19, 1908
No. 523] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 1986/KARTIKA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1195(अ) :– केन्द्रीय सरकार, स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में हैं ।

3. सूचना देने के लिए समय-सीमा—किसी ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित थी, प्रत्येक बंधकदार और ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से, जो अधिनियम की धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि बंधकदार, या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति किसी पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित हो गया था तो वह, ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर, सूचना प्राप्त कर सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

4. सूचना देने की रीति—(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप में होगी, आयुक्त को संबोधित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :–

(क) बन्धकदार या ऐसी संपत्ति में या उसके संबंध में भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ख) ऐसे टैक्सटाइल उपक्रम का नाम, वर्णन और पूरा पता जिसकी बाबत दावा किया जाता है ;

(ग) दावे की रकम (भारतीय करेंसी में) :–

(i) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन	——रु.	पै.
(ii) धारा 8 के अधीन	——रु.	पै.
(iii) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन	——रु.	पै.
(iv) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन	——रु.	पै.
(v) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन	——रु.	पै.
(vi) दावे की कुल रकम	——रु.	पै.

(घ) लिखत की विशिष्टियां, यदि कोई हों, जिसके द्वारा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया जाता है, जिसे लिखत की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा संबंधित किया जाए ;

(ङ) पहले से प्राप्त रकम यदि कोई हो, विशिष्टियों सहित;

(च) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां ; और

(छ) दावाकृत अनुतोष।

(2) प्रत्येक सूचना, बन्धकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाए।

(3) सूचनाएं, आयुक्त के कार्यालय, सातवीं मंजिल, अशोक एस्टेट, 24, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों को कार्यालय समय के दौरान फाइल की जा सकेगी अथवा रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

[फा. सं. 12011/1/86 – एन टी सी]
एस एन. शुक्ल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1986

G.S.R. 1195(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquistion and Transfer of Undertakings) Act, 1986 (30 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986;

(b) "section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any property which was vested under the Act in the Central Government or in an existing Government (company) as the case may be, and every person holding any charge, lien or other interest in or in relation to, any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date as may be specified by the Central Government under section 18 of the Act :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lieu or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may, after recording reasons in writing, receive the intimation within a further period of thirty days but not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3, shall be in writing, addressed to the Commissioner and shall contain the following particulars, namely :—

(a) name, description and full address of the mortgagee or the person holding charge, lien or other interest in or in relation to such property;

(b) name, description and full address of the textile undertaking in respect of which the claim is made ;

(c) amount of claim (in Indian currency);

(i) under sub-section (5) of section 4	.... Rs	P.
(ii) under section 8	.... Rs	P.
(iii) under sub-section (1) of section 9	.... Rs.	P.
(iv) under sub-section (2) of section 9	.... Rs.	P.
(v) under sub-setcion (3) section 9	.... Rs.	P.

(vi) Total amount of claim

(d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lieu or other interest is secured, supported by an attested copy of instrument;

(e) amount, if any, already received with particulars;

(f) any other particulars relevant to the claim; and

(g) relief claimed.

(2) Every intimation should be duly signed and verified by the mortgagee or the person holding the charge, lien or other interest, or by a person duly authorised by him.

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at 7th Floor, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi, on all working days during office hours or may be sent by registered post with acknowledgement due.

[F. No. 12011|1|86-NTC]

S. N. SHUKLA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986